



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092024-257007
CG-DL-E-09092024-257007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 505]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18, 1946

No. 505]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 547(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा (आस्तियों या आर्वत का न्यूनतम मूल्य) नियम, 2024 है।
(2) ये 10 सितम्बर, 2024 को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, "अधिनियम" से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है।
(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. आस्तियों और आर्वत का न्यूनतम मूल्य.- अधिनियम की धारा 5 के खंड (ड) के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) आस्तियों का मूल्य चार सौ पचास करोड़ रुपये होगा; और
(ख) आर्वत का मूल्य एक हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये होगा।

[फा. सं. कॉम्प-05/4/2023-कॉम्प-एमसीए]

मनोज पाण्डेय, अपर सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th September, 2024

G.S.R. 547(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 63 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Competition (Minimum Value of Assets or Turnover) Rules, 2024.
(2) They shall come into force with effect from the 10th day of September, 2024.
2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires, "Act" means the Competition Act, 2002 (12 of 2003).
(2) The words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings, respectively assigned to them in the Act.
3. **Minimum Value of Assets and Turnover.**— For the purposes of clause (e) of section 5 of the Act,—
 - (a) the value of assets shall be rupees four hundred and fifty crore; and
 - (b) the value of turnover shall be rupees one thousand two hundred and fifty crore.

[F.No. Comp-05/4/2023-Comp-MCA]

MANOJ PANDEY, Addl. Secy.